न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 05 सन् 2015

राजस्व वाद संख्या 26/2011

श्रीमति सायरी वयस्क पत्नि श्री जीवण जी जाति गुर्जर
निवासी ग्राम इन्द्रगढ तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

———————प्रार्थीया/प्रतिवादिया

ब ना म

श्रीमति जेती वयस्क पुत्री श्री सवाई व पत्नि श्री माधू जाति गुर्जर
निवासी पटेल कोलोनी विजयनगर जिला–अजमेर राज0 ———अप्रार्थीया/वादिया

1– श्री नारायण वयस्क पुत्र श्री लादू जाति गुर्जर
निवासी ग्राम सतकुडिया–इन्द्रगढ तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

2– श्रीमति धापू वयस्कपुत्री लादू जाति गुर्जर
निवासी इन्द्राकोलोनी विजयनगर जिला–अजमेर राज0

3– श्रीमति हीरी वयस्क पुत्री श्री लादू व पत्नि श्री औकार जाति गुर्जर
निवासी ग्राम बाडी तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

4– श्री रामदेव वयस्क पुत्र श्री भोलू जाति गुर्जर

5– श्री गोपाल वयस्क पुत्र श्री भोलू जाति गुर्जर

6– श्री सांवरा वयस्क पुत्र श्री भोलू जाति गुर्जर

7– श्रीमति नौजी वयस्क पत्नि श्री भोलू जाति गुर्जर

8– श्रीमति अमरी वयस्क पत्नि श्री भोलू जाति गुर्जर ——(मृतक)
क्रमांक 4 से 8 निवासीयान ग्राम इन्द्रगढ तहसील मसूदा

9– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार महोदय मसूदा जिला–अजमेर

10– राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार एंव उपपंजीयक महोदय
उपपंजीयन कार्यालय, विजयनगर जिला–अजमेर ——— अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

11– श्री धर्मीचन्द वयस्क पुत्र श्री रामदेव जाति गुर्जर –(मृतक)

12– कुमारी बिट्टू वयस्क पुत्री श्री धर्मीचन्द जाति गुर्जर

13– कुमारी शालू वयस्क पुत्री श्री धर्मीचन्द जाति गुर्जर

14– कुमारी अन्नू वयस्क पुत्री श्री धर्मीचन्द जाति गुर्जर
क्रमांक 11 से 14 समस्त निवासीयान पावर हाऊस के पास विजयनगर
क्रमांक 11 से 14 बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारीस काबिज जायदाद स्वर्गीय
श्रीमति हीरी वयस्क पुत्री श्री सवाई जाति गुर्जर

——प्रफोर्मा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एंव धारा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

आदेश दिनांक 19.01.2018

(सुरेश चावला) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर) राज0

उक्त प्रकरण में प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी एंव संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर सारांशतः निवेदन किया है कि उक्त वाद में दिनांक 28.04.2011 को प्रार्थिया के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्धारा एकतरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित करते हुये एकतरफा में दिनांक 11.05.2011 को निर्णय व डिक्री पारीत कर दिये गये है, जो गलत अविधिपूर्ण व न्यायिक सिद्धान्तो के प्रतिकूल है। प्रतिवादी संख्या 4 को न्यायालय द्धारा जारी किये गये सम्मन की तामीली कभी भी नही हुई और प्रतिवादी संख्या 4 के कथित श्री गोपाल नाम का कोई भी जायन्दा पुत्र नही है, ऐसे कथित श्री गोपाल को प्रतिवादी संख्या 4 ने कभी भी मौजूदा वाद के सम्मन प्राप्त करने हेतू अधिकृत भी नही किया ना ऐसा कथित श्री गोपाल प्रतिवादी संख्या 4 का पारिवारिक सदस्य है। तथा ना ही प्रतिवादी संख्या 4 के साथ कथित तामीली के दिवस को निवासरत ही था। किसी फर्जी गलत व अनाधिकृत व्यक्ति पर प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 4 के सम्मन की तामीली होना बताकर स्वंय के पक्ष में एकतरफा निर्णय व आज्ञप्ति पारित कराये है। प्रतिवादी संख्या 4 को कथित तामीली के साथ वाद पत्र की नकल उपलब्ध नहीं करायी । प्रतिवादी संख्या 4 पर

तामीली हुई होती तो स्वंय माननीय न्यायालय द्वारा भी तामीली बाबत कोई घोषणा की जाती कि जो भी मौजुदा प्रकरण में नही की गई है। दिनांक 15.02.2015 को वादिया ने मौके पर आकर प्रार्थीया प्रतिवादी संख्या 4 कि जो उस समय स्वंय द्धारा अपनी खातेदारी, कब्जा काश्त उपयोग व उपभोग की भूमियो खसरा नंबर 512 व 515 पर स्वंय द्धारा बोई गई फसल की देखरेख हेतु वहां उपस्थित थी को आकर उसके पक्ष में ना केवल इस न्यायालय वरन माननीय राजस्व अपील अधिकारी जी अजमेर का भी फैसला हो जाने के कारण कब्जा हटाने बाबत कहा। माननीय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के निर्णय व आज्ञप्ति दिनांक 27.01.2015 के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रतिवादी संख्या 1 नारायण द्धारा विधिक कार्यवाही की गई है जो कि विचाराधीन है। मूल वाद की भांति माननीय राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर के द्धारा नारायण द्धारा की गई कार्यवाही की भी प्रतिवादी संख्या 4 को जानकारी नही है। और ना ही अपील के सम्मन प्रार्थीया व उसके अधिकृत प्रतिनिधि आदि पर कभी कोई तामील ही कराई। प्रतिवादी संख्या 4 ने जानकारी कर संबंधित प्रमाणित प्रतिलिपियां निकलवाने हेतू दिनांक 23.02.2015 को अपने अधिवक्ता श्री सुरेशचन्द कुमावत ब्यावर के जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि जो प्रमाणित प्रतिलिपि उसे दिनांक 23.02.2015 को प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 4 को सर्वप्रथम उपरोक्तानुसार दिनांक 28.04.2011 को उक्त वाद में उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने व तत्पश्चात दिनांक 11.05.2011 को न्यायालय से कत्तई गलत, झूंठे व अविधिपूर्ण तरीके से कि जो कत्तई भी न्यायोचित एंव विधि सम्मत नही है और ना कायम रहने योग्य ही है। तथा जो एकतरफा निर्णय व आज्ञप्ति को यदि अपास्त नही किया गया तो प्रार्थीया प्रतिवादी संख्या 4 से अप्रार्थी–वादीया बिना किसी आधार व औचित्य के अनावश्यक की फर्जी व अवेध तामीली के आधार पर प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 4 को उसकी स्वंय की बेशकीमती आराजियात आदि को हडपने करने में कामयाब हो जायेगी। तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो कि पर्दानशीन महिला के साथ घोर अन्याय होगा तथा अत्यधिक क्षति होने के साथ उसके वैधानिक अधिकारो पर भी भारी कुठाराघात होगा। यदि अप्रार्थीया–वादीया को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होना माना भी जावे तो उसे हर्जाने की अदायगी द्धारा प्रतिपूरित किया जा सकता है। तथा वादीया–अप्रार्थीया ने चारागाह खसरा नंबर 513 तथा नदिया नाले की भूमि खसरा नंबर 505 व राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि खसरा नंबर 652/506 के भी संबंध में न्यायालय के समक्ष गलत बयानी करते हुये मूल वाद में अनुतोष प्राप्त कर लिया है, जो कत्तई गलत व विधि विरूद्ध है तथा जानकारी से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उक्त के बावजूद भी कोई विलम्ब माना जावे तो इस बाबत पृथक से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 11.5.2011 को पारीत किये गये निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 4 को अपना कथन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाकर उसे सुना जाकर ही प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने की कृपा करे।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7, 9, 10, 12, 13, 14 बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रकरण में अप्रार्थीया जेती की और से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि मौजूदा आवेदन पत्र माननीय न्यायालय में दिनांक 11.05.2011 वादिया जैती के पक्ष में निर्णित कर दी गई जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्धारा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर की न्यायालय में पेश की गई जिसमें भी पक्षकारान को नोटिस जारी हुये व सभी पक्षकारो की उपस्थिति में माननीय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 27.01.2015 को माननीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुये अपील फैसल कर निर्णय व डिक्री पारीत कर दी गई। तथा माननीय न्यायालय व राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रार्थीया की पूर्ण व पर्याप्त जानकारी में राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय की तमाम कार्यवाही स्थगित करते हुये यथास्थिति

.....लगातार

की आदेश पारित कर रखे है। ऐसी अवस्था में मौजुदा प्रकरण से प्रार्थीया किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती है, व यदि प्रार्थीया प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष यदि चाहिये तो वह राजस्व मण्डल में चाराजोही करने को स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया प्रतिवादी का आवेदन पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

प्रार्थीया प्रतिवादी संख्या 4 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि श्रीमति सायरी द्वारा किसी भी राजस्व अपील अधिकारी जी अजमेर का कोई नोटिस नही मिला और तथा दिनांक 27.1.2015 को सायरी की बिना मौजूदगी में अपील निर्णित हुई। सायरी ने कोई राजस्व अपील अधिकारी व राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत नही की और ना ही अपील की जानकारी थी बल्कि जानकारी होने पर रेस्पोडेंट की हैसियत से उपस्थिति दर्ज कराई है, उक्त अपील सायरी के द्वारा पेशशुदा नहीं है। उक्त अपील नारायण की पेशशुदा है जो अभी विचाराधीन होकर लंबित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वादीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थना पत्रो पर बहस सुनी गई प्रार्थीया सायरी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने कथन किया। अप्रार्थीया जेती के अधिवक्ता ने जो प्रार्थना पत्र 21.12.2017 को पेश किया उसी को मूल प्रार्थना पत्र की बहस माना जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को खारीज करने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि प्रार्थीया सायरी को इस न्यायालय द्वारा जारी किये सम्मन को व्यक्तिशः रूप से तामील नही हुई है। इस न्यायालय द्वारा जो सम्मन जारी किये गये है, उसकी रिपोर्ट में तामीली कुलिन्दा ने रिपोर्ट की है, कि नोटिस सायरी के लडके को तामील कराई और लडका गोपाल के हस्ताक्षर होना पाया गया। जबकि सायरी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से गोपाल को अपना जायन्दा पुत्र नही होना व पारिवारिक सदस्य नही होने बाबत कथन अंकित किये गये है, उसके विषय में सायरी ने कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है। जबकि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2011 के विरूद्ध नारायण द्वारा अपील प्रस्तुत करने तथा नोटिस जारी करने बाबत स्वंय सायरी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित किया गया है, माननीय राजस्व अपील अधिकारी जी अजमेर के यहां से जारी नोटिस में भी सायरी के पुत्र गोपाल द्वारा नोटिस लिया जाना पाया गया। जबकि इस न्यायालय द्वारा व अपील न्यायालय द्वारा जो सायरी को नोटिस जारी किये गये है, उन दोनो में सायरी के पुत्र गोपाल द्वारा नोटिस प्राप्त किया जाना अंकित होना पाया गया है, इसलिये यह नही कहा जा सकता है, कि गोपाल सायरी के परिवार अथवा लडका नही हो इसके विषय में सायरी द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया कि गोपाल उसका लडका नहीं है अथवा उसका परिवार का नही हो। प्रार्थीया/प्रतिवादी व अप्रार्थी/वादी दोनो ने कथन किया है, कि उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2011 के विरूद्ध प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होना स्वीकार किया है। उक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री व माननीय राजस्व अपील अधिकारी जी अजमेर के द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री में विचाराधीन प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थीया सायरी को भंली भांति होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 4 सायरी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन कार्यवाही में भाग लेने के स्वतंत्र है, तथा इस न्यायालय में प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 4 सायरी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाये जाने अस्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी व धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नही पाये जाने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है, खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। आदेश आज दिनांक 19.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश ...)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 17:00:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: